Result Mitra Daily Magazine

प्रोटेम स्पीकर

- संविधान में यह व्यवस्था की पिछले लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के विघटन होने पर अपना पद नहीं छोड़ता है बल्कि नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है।
- ऐसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक में राष्ट्रपति नई लोकसभा से वरिष्ठतम सदस्य को सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) चुन लेता है।
- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं एवं शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं।

अधिकार एवं दायित्व -

- प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही शक्तियां होती हैं।
- वह लोकसभा की पहली बैठक में सदन का पीठासीन अधिकारी होता है।
- सामयिक अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है।
- सामयिक अध्यक्ष/प्रोटेम स्पीकर लोकसभा को नए अध्यक्ष के चुनाव में भी मदद करता है।
- पहली बैठक के सामान्यतः 3 - 4 दिन बाद लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, एवं तत्काल सामयिक अध्यक्ष का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है अर्थात प्रोटेम स्पीकर/सामयिक अध्यक्ष को इस्तीफा देने की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है।

वरिष्ठतम का तात्पर्य -

- वरिष्ठतम सदस्य की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन सामान्यतः सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहने वाले सदस्य को वरिष्ठ माना जाता है। परंपरागत रूप से सबसे ज्यादा समय तक लोकसभा (L.S.) के सदस्य (वर्षों में न कि कार्यकाल की संख्या) रहने वाले को यह पद दिया जाता है।

संवैधानिक उपबंध -

- प्रोटेम स्पीकर के लिए संविधान में प्रत्यक्षतः कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद - 95 (1) कहता है कि यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
- संविधान में यह भी वर्णन है कि लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा।

Result Mitra

- राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों को स्वयं शपथ न दिलवाकर स्वयं द्वारा नियुक्त 'प्रोटेम स्पीकर' के सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भरतहरी मेहताब को राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, जिसका विरोध करते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि 8 बार के लोकसभा सांसद के सुरेश को यह पद दिया जाना चाहिए था।
- महताब 7 बार सांसद (L.S.) जबकि के सुरेश 8 बार लोकसभा के सदस्य सांसद रह चुके हैं।
- विपक्ष का कहना है कि सरकार दलित विरोधी है इसलिए के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया।

सरकार का जवाब -

- संसदीय कार्य मंत्री ने कहा वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अनुसार सबसे लंबे समय तक 'निरंतर कार्यकाल' वाले लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।
- रिजिजू (संसदीय कार्य मंत्री) ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की अवधारणा वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रेरित है, जहां लगातार सबसे लंबा समय तक सेवा देने वाले सदस्य को 'Father of house' या 'सदन का पिता' कहा जाता है।
- उन्होंने कहा कि के सुरेश के आठ कार्यकाल हैं, लेकिन 1998 - 2004 तक वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, जबकि भरतहरी मेहताब 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 एवं 2024 में लगातार 7 वें कार्यकाल के लिए बिना अंतराल के सदस्य रहे हैं।

भरतहरी महताब -

- 1998 से लगातार कटक (उड़ीसा) लोकसभा क्षेत्र से सातवीं बार निर्वाचित।
- 2017 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित
- 2024 मार्च में बीजू जनता दल छोड़कर बीजेपी में आए एवं 2024 लोकसभा चुनाव में कटक से ही विजयी हुए।
- 18 वीं लोकसभा सांसदों को 24 - 25 को शपथ दिलवाएंगे एवं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होते ही प्रोटेम स्पीकर पद समाप्त हो जाएगा।

वेस्टमिंस्टर प्रणाली -

- भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है।
- ब्रिटेन का संसद लंदन शहर के बेस्टमिंस्टर नामक क्षेत्र में है, जिसके नाम पर ही 'वेस्टमिंस्टर प्रणाली' नामकरण हुआ।

Result Mitra